संख्या-22/2025/413/002-78-2025-01099-96/2024

प्रेषक,

नेहा जैन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक उद्योग,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊः दिनांकः 31 मार्च, 2025

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति का कार्यान्वयन मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 8.0011 करोड की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी के पत्र संख्या-आईसीपीः9064 (2024-2025)(स), दिनांक 28-03-2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि मेसर्स हायर एप्लायन्सेज इण्डिया प्राइवेट लि0 को पूंजीगत उपादान के संवितरण के संबंध में शासनादेश संख्या-17/2025/412/001-78-01099-96-2024, दिनांक 28-03-2025 द्वारा रू0 84.9989 करोड की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर दी गयी है। शासनादेश संख्या-20/2025/410/78-1-2025-08आई0टी0/2024, दिनांक 27 मार्च, 20 25 के अनुसार मेसर्स हायर एप्लायन्सेज इण्डिया प्राइवेट लि0 को पूंजीगत उपादान के संवितरण के संबंध में इस वित्तीय वर्ष में रू0 93.00 करोड की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जानी है। इसके दृष्टिगत उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 28-03-2025 द्वारा रू0 84.9989 करोड की वित्तीय स्वीकृति निर्गत होने के उपरान्त अवशेष धनराशि रू0 8.0011 करोड की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7, उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-32-उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति के अन्तर्गत निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहन-42-अन्य व्यय मद में प्राविधानित धनराशि रू0 5000.00 लाख (रूपये पचास करोड मात्र) के सापेक्ष संभावित बचतों से रू0 8.0011 करोड (रूपये आठ करोड ग्यारह लाख मात्र) को लेखाशीर्ष "2852-उद्योग-07-दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स-20-उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति का कार्यान्वयन- 27 सब्सिडी मद में संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्र अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित किया गया है। पुनर्विनियोग के माध्यम से उक्त प्राविधानित धनराशि रू0 8.0011 करोड (रूपये आठ करोड ग्यारह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने हेतु निम्निलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग इस वित्तीय वर्ष में नहीं की जायेगी।

(3) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी। इसके इतर व्यय किया जाना वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

(4) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(5) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बंधित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-1637/दस-14(1)/75 दिनांक 26-06-1975 के वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(7) उक्त धनराशि का लेखा-जोखा निदेशक उद्योग, उ0प्र0 कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति का कार्यान्वयन सब्सिडी के अर्न्तगत ही किया जायेगा।

(9) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0, उद्योग निदेशक, कानपुर तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।

(11) स्वीकृत धनराशि रू0 8.0011 करोड़ (रूपये आठ करोड ग्यारह हजार मात्र) में से रु0 7.8810835 करोड़ (रूपये सात करोड अठ्ठासी लाख दस हजार आठ सौ पैतीस मात्र) सीधे लाभार्थी/इकाई के खाते में अन्तरित की जायेगी तथा शेष धनराशि रु0 12,00,165 (रूपये बारह लाख एक सौ पैसठ मात्र) यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 के खाते में अन्तरित की जायेगी। लाभार्थी/इकाई के खाते में धनराशि अन्तरित किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के प्राविधानों का किसी प्रकार से उल्लंघन न हो एवं शासनादेश संख्या-133/78-1-2018-123आई0टी0/2016, दिनांक 31 जनवरी, 2018 का अनुपालन एवं तद्रुरूप औपचारिकताएं पूर्ण करा ली जाय।

(12) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति में निहित आकंडो की शुद्धता एवं सुचिता का दायित्व प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(13) किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त पी0एल0ए0/बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जायेगा।

(14) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है।

(15) स्वीकृत धनराशि का व्यय किये जाने के पूर्व वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04-03-2024 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 8,00,11,000 (रुपये आठ करोड़ ग्यारह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852072022000 उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति का कार्यान्वयन मानक मद 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीया,

नेहा जैन
विशेष सचिव।

संख्या-22/2025/413(1)/002-78-01099-तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ, उ0प्र0।
6- संयुक्त निदेशक, उद्योग लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4, उ0प्र0, शासन।
9- वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/औद्योगिक विकास अनु0-2/आई0टी0 एवं इले0 अनुभाग-2, उ0प्र0, शासन।
10- अनु सचिव/नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम,आई0टी0 एवं इले0 विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
नेहा जैन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A078-20242025-78-01099-96-2024

विषय:- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति का कार्यान्वयन हेतु राजस्व व्ययों के लिए पुनार्विनियोग के माध्यम से रु० 800.11 लाख की धनराशि स्वीकृत /अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
007	2852808003200 (उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति के अन्तर्गत निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहन)	42 (अन्य व्यय)	47,37,00,000 रुपये सैंतालीस करोड़ सैंतीस लाख मात्र	47,37,00,000 रुपये सैंतालीस करोड़ सैंतीस लाख मात्र	8,00,11,000 रुपये आठ करोड़ ग्यारह हजार मात्र	8,00,11,000 रुपये आठ करोड़ ग्यारह हजार मात्र	39,36,89,000 रुपये उनतालीस करोड़ छत्तीस लाख नवासी हजार मात्र	2024-2025
कुल					₹ 8,00,11,000	₹ 8,00,11,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
007	2852072022000 (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति का कार्यान्वयन)	27 (सब्सिडी)	4,00,00,00,000 रुपये चार अरब मात्र	8,00,11,000 रुपये आठ करोड़ ग्यारह हजार मात्र	8,00,11,000 रुपये आठ करोड़ ग्यारह हजार मात्र	4,08,00,11,000 रुपये चार अरब आठ करोड़ ग्यारह हजार मात्र	2024-2025
कुल				₹ 8,00,11,000	₹ 8,00,11,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1) बचत/अतिरिक्त व्यय का कारण निम्नानुसार है:- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में लेखाशीर्ष 2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-32-उ0प्र0 सेमीकण्डक्टर नीति के अन्तर्गत निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहन-42-अन्य व्यय मद के अन्तर्गत धनराशि रु0 4737.00 लाख की बचत संभावित है एवं लेखाशीर्ष 2852-उद्योग-07 दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक्स उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स -20-उत्तर

प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति का कार्यान्वयन -27- सब्सिडी मद में वर्तमान के दृष्टिगत रु0 800.11 लाख का अतिरिक्त व्यय सम्भावित है।

(2) **प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्वियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151,154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों / परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।**

संख्या:RE-budget-1-908-E-6-288-X-2024-25-दिनांक:29-03-2025

सेवा में,

महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम
इलाहाबाद ,उ०प्र०

विवेक कुमार गुप्ता

अनु सचिव

शैलेन्द्र कुमार राय

अनु सचिव

संख्या : 414/78-1-25 दिनांक- 29 मार्च, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, उद्योग कानपुर (नियंत्रक अधिकारी)।
2. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
3. निदेशक वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ ।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)

आज्ञा से

विवेक कुमार गुप्ता
अनु सचिव